महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र

लता शिवाजी करांडे, सहायक प्राध्यापक राजे रामराव महाविद्यालय, जत. जि. सांगली.

दुरभाष – 7620182083 इमेल -halakelataramesh@gmail.com.

शोध सारांश:

सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए के प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखे तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण वह बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है।

एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ साथ विकास के सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारको पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती है।अपनी शक्तियों संभावना, क्षमताओं तथा योग्यताओ , अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती है।

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है की इससे महिलाए शक्तिशाली बनती हैं। जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले शकति हैं और परिवार, समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, औरतों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस महिला सशक्तिकरण का मुख्य कारण यह है कि औरतों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए और उनकेअधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की पूरी आजादी देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना जिससे कि वह समाज में अपना सही स्थान पा सके।

प्रस्तावना :

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, कि औरतों के अंदर की क्षमता को समझते हुए उन्हें उनके फैसले खुद करने देने का अधिकार। इंग्लिश में इसे (वुमन एंपावरमेंट) कहते हैं। औरतों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। यह दिनांक 8 मार्च को मनाया जाता है, जिससे कि पूरे विश्व को पता चल जाता है कि कोई भी महिला बेचारी नहीं बल्कि आदि शक्ति जगदंबा का रूप है।

इस महिला सशक्तिकरण का मुख्य कारण यह है, कि औरतों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। और हमें भी यह समझना होगा कि हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमें औरतों को पूरा मान सम्मान देना चाहिए और उनके अधिकारों को उनसे नहीं छिनना चाहिए।

भारत में सामाजिक पुनर्जागरण और राजनीतिक चेतना का विकास साथ साथ हुआ है। इस काल में भारतीय समाज को अज्ञानता, गरीबी, पोषण, दासता और परंपरागत रूढ़ियों से एक साथ

संघर्ष करना पड़ा। भारतीय नारी सदियों से पुरुष प्रधान व्यवस्था और पतन उन्मुख सामाजिक स्थितियों में रहने को बाध्य थी। उसकी गणना धीरे धीरे दलित वर्ग में होने लगी। भारत का अधिकांश सामाजिक सुधारवादी आंदोलन नारी जीवन के सुधार को ही अपना लक्ष्य मानता रहा है। भारतीय नारी को पुरुष की दासता और सामाजिक रूढ़ियों से एक साथ लड़ना पड़ा। भारतीय नारी के मुक्ति संघर्ष को सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर पर अलग करके देखा नहीं जा सकता। भारतीय नारी का यह मुक्ति संघर्ष 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। जब बंगाल में ब्रह्म समाज, मुंबई में प्रार्थना समाज तथा उत्तर भारत और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई यह तीनों संस्थाएं समाज सुधार को लक्ष्य बनाकर कार्य करती रही। इन्होंनेअपने कार्यक्रमों में नारी जागरण को प्रमुख स्थान दिया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, महादेव रानडे जैसे सुधारकों ने नारी की भूमिका को परखा। उन्होंने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया। 1829 ई.मे सती प्रथा को कानूनन समाप्त कर दिया गया। 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। यह दोनों कानून महिलाओं को सामाजिक अन्याय से दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे।

19वीं शताब्दी के अंतिम् चरण में भारत में थियोसॉफिकल सोसायटी की निव डालने वाली एक विदेशी महिला सुश्री ब्लावत्स्की ने नारी जागरण का कार्य अपने हाथों में लिया। इन्हीं के थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठकों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद की शिक्षा मार्गरेट नोबल(भगिनी निवेदिता) ने बंगाल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और भारतीय स्त्रियों में शिक्षा के माध्यम से जागृति लाने का बीड़ा उठाया। यह शिक्षा केवल जानकारी के लिए न थी अपितु विदेशी शासन की दास्तां के विरुद्ध जागरण की शिक्षा भी थी। तत्पश्चात थियोसॉफिकल सोसायटी का नेतृत्व संभालने वाली एनी बेसेंट ने नारी जागरण के कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने मार्गरेट नोबल तथा मार्गरेट काजिस के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त कर देश के राजनीतिक जीवन में महिलाओं की प्रतिगामीता सिद्ध की। उनकी अध्यक्षता में स्त्रियों के मताधिकार का प्रस्ताव पास कराया गया। इसके बाद गांधीजी के अनुयायि मैडलीन स्लेड जो बाद में मीरा बेन के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारतीय स्त्री में नए चेतना जागृत करने के लिए आगे आई।

1917 में मद्रास में श्रीमती मार्गरेट कंजीस ने अखिल भारतीय स्तर पर एक महिला संगठन इंडियन विमेन- एसोसिएशन की स्थापना की। इसी वर्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में महिलाओं ने मताधिकार की मांग की, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने का भारतीय स्त्रियों का यह पहला प्रयास था। 1925 ई में पहली बार सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्षा बनी। 1926 ई में भारत में पहली बार स्त्रियों ने चुनाव में भाग लिया। आम चुनाव के बाद 1927 ई में महिलाएं विधानसभाओं में आई क्योंकि चुनाव लड़ने के अधिकार कुछ शर्तों पर स्त्रियों को दिए गए थे। 1927 ई में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संगठन की स्थापना हुई, स्त्रियों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में इसका प्रमुख योगदान था। 1929 ई में बाल विवाह निषेध अधिनियम पास हुआ। जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने में सहायक सिद्ध हुआ। इसने स्त्री शिक्षा में उन्नति तथा व्यक्तित्व- विकास के अवसरों में वृद्धि की। 1930 के नमक सत्याग्रह, 1932 के

सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 ई में भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी, अरूणा आसफ अली, सुचेता पलानी आदि स्त्रियां उपरोक्त आंदोलन से जुड़ी रही।

भारत में महिलाओं की स्थिति:

महिला सशक्तिकरण जैसे विषय को आधार बनाकर विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, स्त्रियों के संबंध में भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान पूर्ण स्थिति प्राप्त रही है। उसको शक्ति की साकार प्रतिमा के रूप में माना गया है। यहां लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की आराधना की जाती है, वैदिक और रुग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी उन्नत थी। कालांतर में पुरुष इनके अधिकारों को छिनता गया और इनकी स्थिति में गिरावट आती गई। 19वीं शताब्दी में इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए भ। इन प्रयासों में विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति में भिन्नता पाई जाती रही है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं:

1 सामाजिक मापदंड
2 कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण
3 लैंगिक भेदभाव
4 भुगतान में असमानता
5 अशिक्षा
6 बाल विवाह
7 महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध
8 कन्या भ्रूण हत्या

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
2 महिला हेल्पलाइन योजना
3 उज्जवला योजना
4 महिला शक्ति केंद्र
5 सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन
6 पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य:

महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं के प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वे रचनाकार होती है।अगर आप उन्हें सशक्त करें,उन्हें शक्तिशाली बनाएं , प्रोत्साहित करें, यह देश के लिए अच्छा है।

महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है।फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 मैं महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई।भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित भिन्नता को दूर करने के लिए एक महान नीति महिला कल्याण 1953 मे अपनाई।

महिला सशक्तिकरण के लाभ:

महिला सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम होती है।
यह उन्हें अपनी खुद की एक अलग पहचान देती है
यह उनके आत्म सम्मान आत्म विश्वास को जोड़ता है
वे समाज में सम्मानजनक स्थानप्राप्त करने में सक्षम हो पाती है।

निष्कर्ष:

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं कें मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो कि समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष पर प्रभाव युक्त व्यवस्था है जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए।

महिला सृष्टि निर्माता की अद्‌वितीय कृति है, महिलाओं के अधिकार हेतु सरकार द्‌वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, एवं महिलाएं भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं परंतु इस सबके बावजूद सिटी विपरीत बनी हुई है।महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है।अतः आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षित किया जाना जरूरी है , दूसरे आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरे, कानूनी एवं धर्म के आधीन् महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए। चौथे उन्हें सरकार के हर स्तर पर उपयुक्त स्थान, भागीदारी मिलनी चाहिए सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता,कार्यशीलता बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्‌वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है।

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका

21वी सदी शुरुआत से महिलाओं की रही है इन सालों में महिलाओं का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान बड़ा है इसका ही परिणाम है कि आज भारत की महिलाएं राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुंच कर नए आयाम गढ़ रही है। भूमंडलीकृत विश्व में भारत की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है।

संदर्भ ग्रंथ :

1 शर्मा प्रज्ञा(2011) भारतीय समाज में नारी,
जयपुर: पॉइंटर पब्लिशर्स पेज-162
2 शर्मा प्रज्ञा(2011) महिला विकास और सशक्तिकरण,
जयपुर: अविष्कर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर
3 डॉ अमर ज्योति महिला उपन्यास कारों के उपन्यासों में नारीवादी दृष्टि,
अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर प्र. सं. 1999,पृ. 22.